आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 365/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लि॰ तृतीय तल, जे. एस. ई. एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अभिनाथ
   निवासी फ्लैट नं॰ डब्लू–607, एव डब्लू 608, छठवीं मंजिल, पिंक प्राईड, खसरा नम्बर 9, जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर जिला जयपुर ।
   1344, 14 सौरव विहार, हरीनगर विस्तार, जैतपुर, साउथ दिल्ली एवं
   मैसर्स अभिनाथ एन्टरप्राईजेज डी–141, सैक्टर–7, गौतम बुद्व नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश ।
2. दीनाथ मोर्य
   निवासी 1–344, 1 ब्लाक, हरी नगर विस्तार, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली–110044 एवं
   फ्लैट नं॰ डब्लू–607, एव डब्लू 608, छठवीं मंजिल, पिंक प्राईड, खसरा नम्बर 9, जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 11.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अभिनाथ पुत्र श्री दीनानाथ मोर्य के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ डब्लू–607, एव डब्लू 608, छठवीं मंजिल, पिंक प्राईड, खसरा नम्बर 9, जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 1122 वर्गफिट को बन्धक रखकर राशि 23,40,300/–रूपये एवं राशि 99,404,/–रूपये कुल राशि 24,39,704/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 24,39,704/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 25,00,997/–रूपये एवं 99,806/–रूपये कुल राशि 25,00,803/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अभिनाथ पुत्र श्री दीनानाथ मोर्य के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. डब्लू–607, एव डब्लू 608, छठवीं मंजिल, पिंक प्राईड, खसरा नम्बर 9, जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 1122 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 11.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर